2006:सीजीएचसी:6842

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर,
दाण्डिक अपील संख्या 927/2005

संजय पाठक ..... अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ राज्य ..... प्रत्यर्थी

(आदेश हेतु दिनांक 22 फरवरी 2006 को सुरक्षित रखा गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर,
एकल पीठ : माननीय **न्यायमूर्ति** श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख,
दाण्डिक अपील संख्या 927/2005

संजय पाठक ..... **अपीलार्थी**

बनाम

छत्तीसगढ राज्य ..... **प्रत्यर्थी**

उपस्थित :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.सी वर्मा, अधिवक्ता, सहित
श्री शैलेंद्र दुबे, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से : श्री सोमेश बजाज, उप–शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय
(दिनांक 22 फरवरी 2006 को पारित)

यह अपील, श्री एम.पी. सिंघल, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, के विशेष न्यायाधीश, बस्तर, (जगदलपुर स्थित) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 164/2005 में दिनांक 16.11.2005 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ), धारा 323 एवं सहपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्ध किया गया और उसे 10 वर्ष के लिए सश्रम कारावास एवं 5000/– रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, तथा जुर्माना अदायगी ना होने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अंतर्गत छह माह के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास एवं धारा 323 सहपठित धारा 34 के तहत 6 माह का कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी। दोनों सजाएं एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष की कहानी यह है कि अभियोक्त्री/पीड़िता, 19–20 वर्ष की एक लड़की, और डोगाराम (अ.सा–2) बोरपाल में मेले में नृत्य देखने गए थे। जब वे नृत्य देख रहे

थे, कुछ पुलिसकर्मी वहां से गुजरे। कुछ समय बाद, अपीलार्थी संजय पाठक दो अन्य सह–अभियुक्तों के साथ आया और अभियोक्त्री/पीड़िता को बताया कि पुलिस उसे बुला रही है। अभियोक्त्री/पीड़िता और डोगाराम ने मानने से इनकार कर दिया। अपीलार्थी और उसके साथ आए दो व्यक्तियों ने एक लकड़ी के डंडे से डोगाराम और अभियोक्त्री/पीड़िता पर हमला किया। अपीलार्थी ने अभियोक्त्री/पीड़िता की गर्दन पकड़ ली और धमकी दी, जिसके बाद अभियोक्त्री/पीड़िता और डोगाराम अपीलार्थी और उसके दो सहयोगियों के साथ चले गए। अपीलार्थी अभियोक्त्री/पीड़िता को गांव के तालाब की ओर ले गया और दोनों साथियों ने डोगाराम को पकड़ लिया | अपीलार्थी, अभियोक्त्री/पीड़िता को एक खेत में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया इसके बाद, अपीलार्थी के दो साथियों ने भी अभियोक्त्री/पीड़िता के साथ एक–एक करके बलात्कार किया। अभियोक्त्री/पीड़िता चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) प्रदर्श.पी.– 6 अभियोजन पक्ष द्वारा थाना में दर्ज कराई गई थी घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर नारायणपुर में सुबह 9 बजे दर्ज कराई गई | प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उसने बताया कि वह अपीलार्थी को नाम से जानती है क्योंकि वह बस कंडक्टर था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि अपीलार्थी ने पीड़िता के ब्लाउज से 3,000 रुपये निकाले थे।

4. अपीलार्थी को दिनांक 4.3.2005 को दोपहर 3.00 बजे नारायणपुर थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया। श्री एम.आर. अहिरे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अ.सा.–6 ने दिनांक 3.3.2005 को घटनास्थल से एक काली चप्पल, एक लॉकेट और टूटी चूड़ियाँ प्रदर्श पी.– 2 के तहत जब्त कीं थीं। अभियोक्त्री/पीड़िता को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. कुमुद कंवर (अ.सा.– 4) ने दिनांक 3.3.2005 को दोपहर 3.45 बजे अभियोक्त्री/पीड़िता की जाँच की, और पाया कि बाह्य जननांग पूर्ण विकसित है संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। योनि–छद

(hymen) पुराना फटा हुआ था। योनि–द्वार (introitus) में दो उंगलियाँ आसानी से प्रवेश कर सकती थीं। डॉ कुमुंद कंवर (अ.सा.– 4) की राय में, अभियोक्त्री/पीड़िता संभोग की आदी थी। उसने राय दी कि उसके शरीर या पीठ पर संघर्ष या किसी बाहरी चोट का कोई निशान नहीं था। उन्होंने योनि स्राव की स्लाइड तैयार की और स्लाइड को सील कर आरक्षक को सौंप दिया। श्री एम.आर अहिरे, (अ.सा.– 6) ने दिनांक 4.3.2005 को अभियोक्त्री/पीड़िता का पेटीकोट और सीलबंद स्लाइड (प्रदर्श.पी.–4) के तहत जब्त किया। अपीलार्थी का चिकित्सकीय जांच दिनांक 5.3.2005 को डॉ एम.के. सूर्यवंशी द्वारा की गई , जिन्होंने राय दी कि अपीलार्थी यौन सम्बन्ध बनाने में सक्षम है। उपरोक्त पेटीकोट और स्लाइड को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया । रिपोर्ट प्रदर्श.पी.–9 के अनुसार पेटीकोट और दो योनि स्लाइडों पर मानव शुक्राणु की उपस्थिति की पुष्टि हुई। अपीलार्थी के दो सहयोगियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जांच पूरी होने के बाद, अपीलार्थी पर भारतीय दण्ड संहिता (आई उप–शासकीय.पी.सी.) की धारा 376(2) (छ), धारा 323, सहपठित धारा 34 और धारा 392 के तहत मुकदमा चलाया गया। अपीलार्थी के विरुद्ध इन आरोपों का आरोप पत्र पेश किया गया, अपीलार्थी ने आरोपों से इंकार किया। अभियोजन पक्ष ने निम्न साक्षी पेश किये जिसमे डॉ. एम. के. सूर्यवंशी (अ.सा.–1) अपीलार्थी के चिकित्सक, अभियोक्त्री/पीड़िता (अ.सा.–2), डोगाराम (अ.सा.– 3), डॉ. कुमुद कंवर (अ.सा.– 4) अभियोक्त्री/पीड़िता के चिकित्सक, थाना प्रभारी (एस.एच.ओ.) नारायणपुर संजय पुढीर (अ.सा.– 5) और अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एम.आर. अहिरे (अ.सा.–6) । अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर, सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी को कंडिका 1 में उल्लेखित रीति से दोषसिद्ध कर दण्डादेश दिया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.सी.वर्मा ने तर्क दिया है कि डोगाराम (अ.सा.– 3) के साक्ष्य अत्यधिक विरोधाभासी हैं और विश्वास पैदा नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि डॉ. कुमुद कुंवर (अ.सा.– 4) के साक्ष्य अभियोक्त्री/पीड़िता पर सामूहिक बलात्कार की कहानी को पूरी तरह से नकारते हैं। यह भी तर्क दिया गया कि हालांकि अपीलार्थी का नाम प्रथम सूचना

प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) में दर्ज था, फिर भी अभियोक्त्री/पीड़िता ने स्वीकार किया कि उसने अपीलार्थी को घटना के दिन पहली बार देखा था और उसका नाम नहीं जानती थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि चूंकि पुलिस अभियुक्त को मेले से लाई थी और उसे बताया था कि वह बलात्कार में शामिल व्यक्ति था, इसलिए उसने पुलिस को भी यही बताया। कंडिका 6 में डोगाराम की गवाही का विस्तार से उल्लेख किया गया था, जबकि यह तर्क दिया गया था कि यह अभियोक्त्री/पीड़िता की गवाही को पूरी तरह से अविश्वसनीय बना देता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **देविंदर सिंह एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [ए.आई.आर 2003 सर्वोच्च न्यायालय 3365]** , **दिलीप और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य [ए.आई.आर. 2001 सर्वोच्च न्यायालय 3049]**, **महाराष्ट्र राज्य बनाम अब्दुल हाफिज फारूकी और अन्य [ए.आई.आर. 1998 सर्वोच्च न्यायालय 2382]** और **कर्नाटक राज्य बनाम मोपिला पीपी सूपी [ए.आई.आर.** 2004 **सर्वोच्च न्यायालय 85]** के निर्णयों पर भरोसा जताया और अपीलार्थी को दोषमुक्त करने का अनुरोध किया गया। दूसरी ओर, विद्वान उप–शासकीय अधिवक्ता श्री सोमेश बजाज ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया कि यद्यपि अभियोजन पक्ष के बयान से अपीलार्थी को झूठे आरोप में फंसाने का कोई भी कारण सामने नहीं आया, फिर भी यह प्रति–परीक्षण की कसौटी पर खरा उतरा और पूरी तरह विश्वसनीय था। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोक्त्री को किसी भी प्रकार की बाहरी या आंतरिक चोट का न होना मात्र उसकी गवाही पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं था, जो अन्यथा विश्वसनीय था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद, मैंने अभिलेख का अवलोकन किया है। विधि सुस्थापित है कि एक यौन अपराध में पीड़िता कोई सह–अपराधी नहीं होती, और ऐसा कोई विधिक नियम नहीं है कि उसकी गवाही पर तब तक अमल नहीं किया जा सकता या दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि उसकी पुष्टि तात्विक विशिष्टियों से न हो जाए। इसलिए इस अपील में विचारणीय एकमात्र बिंदु यह है कि क्या अभियोक्त्री/पीड़िता पक्ष (अ.सा.–2) की

गवाही विश्वसनीय है ? और सामूहिक बलात्कार के अपराध में दोषसिद्धि अभियोक्त्री/पीड़िता की गवाही पर आधारित हो सकती है, भले ही उसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्यों से ना हुई हो ?

7. अभियोक्त्री द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना पत्र, नारायणपुर थाना प्रभारी संजय पुधीर (अ.सा.– 5) द्वारा प्रमाणित किया गया | प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श.पी.– 6 से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियोक्त्री ने उसमें उल्लेख किया था कि चूँकि अपीलार्थी एक बस कंडक्टर था, वह उसे नाम से जानती थी। हालाँकि, प्रति–परीक्षण के कंडिका 6 में, उसने कहा कि उसने अपीलार्थी को घटना के दिन पहली बार देखा था और उसका नाम नहीं जानती। उसने अपीलार्थी के खिलाफ नामजद प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने से भी इनकार किया और कहा कि गवाही के दिन भी वह अपीलार्थी को उसके नाम से नहीं जानती थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रथम सूचना पत्र (एफ.आई.आर.) प्रदर्श.पी.– 6 और अपने साक्ष्य में, अभियोक्त्री/पीड़िता ने उल्लेख किया था कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री/पीड़िता और डोगाराम (अ.सा.–3) पर डंडे से हमला किया था। हालाँकि, डॉ. कुमुद कंवर (अ.सा.–4) द्वारा अभियोक्त्री/पीड़िता पर कोई बाहरी चोट नहीं पाया गया था |

8. अभियोक्त्री/पीड़िता ने कंडिका–7 में कहा कि पुलिस ने आरोपी को मेले से पकड़कर पहचान के लिए उसके सामने पेश किया, जबकि डोगाराम (अ.सा.– 3) ने कंडिका 5 में कहा कि घटना के बाद पुलिस अपीलार्थी के घर गई थी, और वह सोता हुआ पाया गया था। उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपी मेले में पकड़ा गया था और कहा कि आरोपी उसके घर में सो रहा था। उसने यह भी कहा कि घटना के बाद उसने अभियोक्त्री/पीड़िता को बताया था कि अपीलार्थी का नाम संजय पाठक है। हालाँकि, अभियोक्त्री/पीड़िता ने इसकी पुष्टि नहीं की।

9. अभियोक्त्री/पीड़िता ने कंडिका 2 में कहा है कि अभियुक्त और उसके दो साथियों ने उसे और डोगाराम को खेत की ओर घसीटा और जब दोनों साथियों ने डोगाराम को पकड़ रखा था , तब

अभियुक्त–अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्कार किया। उसने आगे बताया कि उसके बाद अभियुक्त के दो साथियों ने भी उसके साथ बारी–बारी से बलात्कार किया। प्रति–परीक्षण में, अभियोक्त्री/पीड़िता ने स्वीकार किया है कि उसके साथ हुए बलात्कार के दौरान न तो वह चिल्लाई और न ही उसने अभियुक्त–अपीलार्थी या उसके साथियों को खरोंचने या काटने का कोई प्रयास किया। अभियोक्त्री/पीड़िता की इस गवाही का खंडन प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी– 6 से होता है जिसमें अभियोक्त्री/पीड़िता ने उल्लेख किया था कि उसने घटना के दौरान बहुत शोर मचाया था।

10. अभियोक्त्री/पीड़िता ने कंडिका 9 में कहा है कि अपराध करते समय बलात्कार के दौरान, अपीलार्थी ने उसके ब्लाउज के बटन खोल दिए थे और पेटीकोट को उसके सिर की ओर उठा दिया था, जबकि डोगाराम (अ.सा.– 3) ने कंडिका 6 में कहा है कि अपीलार्थी ने बलात्कार करने से पहले अभियोक्त्री/पीड़िता को पूरी तरह नग्न कर दिया था। अभियोक्त्री/पीड़िता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि अपीलार्थी और उसके दो साथियों द्वारा एक के बाद एक किए गए बलात्कार के दौरान उसे कोई चोट लगी थी। हालांकि, डोगाराम (अ.सा.– 3) ने कहा है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री/पीड़िता को जमीन पर पटक दिया था और सामूहिक बलात्कार के कारण अभियोक्त्री/पीड़िता की पीठ, कूल्हों, पैरों आदि पर चोटें आई थीं और इन घावों से खून बह रहा था। इस गवाही का डॉ. कुमुद कंवर (अ.सा.– 4) द्वारा भी कड़ा खंडन किया गया है जिन्होंने उसी दिन अभियोक्त्री/पीड़िता की जांच की थी। उन्होंने गवाही दी कि अभियोक्त्री/पीड़िता के शरीर या निजी अंगों पर किसी भी चोट या संघर्ष के कोई निशान नहीं पाए गए उनकी राय में, अभियोक्त्री/पीड़िता के साथ यौन संबंध नहीं बनाए गए थे। प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी.– 6 में कहा गया था कि अपीलार्थी और उसके दो साथियों ने डोगाराम पर लकड़ी के डंडे से भी हमला किया था। डोगाराम ने कंडिका 8 में यह भी कहा है कि उसकी पीठ पर चोट लगी थी। हालाँकि, पुलिस ने डोगाराम को चिकित्सीय जाँच के लिए नहीं भेजा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अभियोक्त्री/पीड़िता ने कंडिका 13 में स्वीकार किया कि वह अविवाहित थी और डोगाराम (अ.सा. – 3) के साथ उसके यौन संबंध थे। डोगाराम ने भी अपनी गवाही के कंडिका 9 में इस तथ्य को स्वीकार किया है। अभियुक्त का बचाव यह था कि एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार के मामले में राज्य सरकार से मुआवज़ा पाने के लालच में, उसने झूठी प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई थी।

12. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष की गवाही पर भरोसा किया है और ऊपर उल्लिखित गंभीर विरोधाभास को नजरअंदाज किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दृढ़ता से आग्रह किया गया था कि विचारण न्यायालय ने अभियोक्त्री (अ.सा– 2) और डोगाराम (अ.सा. – 3) की गवाही और डॉ कुमुद कंवर (अ.सा– 4) के चिकित्सा साक्ष्य में दिखाई देने वाले गंभीर विरोधाभासों पर ध्यान न देकर गंभीर त्रुटिकारित किया है। जिसने अभियोजन पक्ष की कहानी को पूरी तरह से अविश्वसनीय बना दिया। अभिलेख पर सबूतों के सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद, जैसा कि पहले देखा गया था, चिकित्सीय सबूत अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है कि अभियोक्त्री के कपड़े निकालने और उसे खेत में धकेलने के बाद तीन युवा व्यक्तियों ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका बलात्कार किया था। अपनी गवाही में, अभियोक्त्री ने प्रथम सूचना पत्र (एफ.आई.आर.) में अपीलार्थी का नाम लेने से इंकार किया। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि उसने डोगाराम (अ.सा. – 3) के कहने पर प्रथम सूचना पत्र (एफ.आई.आर.) प्रदर्श पी– 6 में अपीलार्थी का नाम दर्ज करवाया था । विवेचना अधिकारी ने कोई कारण नहीं बताया कि अपीलार्थी के दोनों साथियों को क्यों नहीं पकड़ा जा सका या डोगाराम की चिकित्सीय जाँच क्यों नहीं कराई गई। अभियोक्त्री की इस गवाही को पुष्ट करने के लिए किसी पुलिसकर्मी से पूछताछ नहीं की गई कि जब वे नृत्य देख रहे थे, तभी पुलिस वहाँ पहुँची और उससे और डोगाराम से पूछा कि वे क्या कर रहे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपरोक्त विरोधाभासों के मद्देनजर, अभियोक्त्री/पीड़िता की गवाही, जिसका न केवल डोगाराम द्वारा , बल्कि चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है, विश्वास पैदा करने में विफल रहा है। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि यदि अपीलार्थी और उसके दो साथियों द्वारा अभियोक्त्री/पीड़िता के साथ खेत में कपड़े उतारकर एक के बाद एक सामूहिक बलात्कार किया गया होता, तो अभियोक्त्री/पीड़िता की पीठ पर कुछ चोटें अवश्य पाई जातीं। यह विश्वास करना कठिन है कि 25–26 वर्ष के युवक डोगाराम (अ.सा– 3) ने कोई शोर नहीं मचाया और न ही अभियोक्त्री/पीड़िता को बचाने या अपीलार्थी के दो अज्ञात साथियों से खुद को मुक्त कराने का कोई प्रयास किया।

14. यद्यपि अभियोक्त्री/पीड़िता ने कहा है कि मेले में नृत्य देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हुई थी फिर भी अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोक्त्री और डोगाराम (अ.सा.– 3) की गवाही को कि अपीलार्थी ने पुलिस द्वारा बुलाए जाने के बहाने उन्हें मेले से जबरन ले गया था को प्रमाणित करने के लिए वंहा मौजूद किसी भी व्यक्ति का परीक्षण नहीं किया गया यद्यपि अभियोक्त्री ने कंडिका 1 में स्वीकार किया था कि मालती, लख्मी और बज्रो उसके साथ मेले में गए थे, फिर भी उसने आगे कहा कि जब वह और डोगाराम (अ.सा. – 3) नृत्य देख रहे थे , तब ये तीन गवाह उनके साथ नहीं थे। यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी का भी परीक्षण नहीं कराया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपर्युक्त गंभीर विरोधाभासों के आलोक में, अभियोक्त्री की गवाही विश्वसनीय नहीं है। अभियोक्त्री के इस कथन की सत्यता को स्वीकार करना कठिन है कि अपीलार्थी और उसके दो सहयोगियों द्वारा उस पर कोई यौन हमला किया गया था, क्योंकि घटना के बारे में उसका विवरण डोगाराम (अ.सा–3) और डॉ. कुमुद कंवर (अ.सा– 4) के बयानों से विरोधाभासी होने के कारण मूलतः कमजोर हो जाता है ।

16. उपरोक्त कारणों से, मेरा विचार है कि अभियोक्त्री की ओर से यह गवाही कि अपीलार्थी ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया है और अपीलार्थी ने डंडे से उस पर हमला किया है, विश्वास पैदा

नहीं करता है। जहां तक अभियोक्त्री की योनि स्लाइड और पेटीकोट पर मानव शुक्राणुओं की मौजूदगी के बारे में एफ.एस.एल. की रिपोर्ट का संबंध है, इसे धारा 376(2)(छ) के तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए एक परिस्थिति के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभियोक्त्री ने डोगाराम के साथ यौन संबंध की बात स्वीकार की थी । इसलिए, एफ.एस.एल. की रिपोर्ट ने धारा 376(2)(छ) के तहत अपीलार्थी के अपराध को संदेह से परे स्थापित नहीं किया। उपरोक्त कारणों से, मेरी सुविचारित राय में, अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

17. परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है और दोषसिद्धि अपास्त की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) और धारा 323, सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके तहत दिया गया दण्डादेश अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है और यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तुरंत रिहा किया जावें। यदि जुर्माना अदा किया गया है, तो वह अपीलार्थी को वापस कर दिया जावें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By : ANKIT SHRIVAS